

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ0सं0-01/स्था0 (क0अ0)-07/2025 8468 न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-12/08/26

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक-10068 दिनांक-22.06.2026 द्वारा श्री विनोद कुमार तिवारी, कनीय अभियंता (यांत्रिक), जलापूर्ति संख्या-02, नगर विकास प्रमंडल जलापूर्ति (पटना नगर निगम क्षेत्र), पटना को तत्काल प्रभाव से अपने कर्तव्यों से विमुक्त करते हुए इनकी सेवा इनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग को वापस करने की अनुशंसा की गयी है।

2. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत विभागीय कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री विनोद कुमार तिवारी, कनीय अभियंता (यांत्रिक) की सेवा तत्काल प्रभाव से इनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग को वापस की जाती है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(शशिभूषण प्रसाद)
संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक-01/स्था0 (क0अ0)-07/2025 8468 /न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक-12/08/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल जलापूर्ति (पटना नगर निगम क्षेत्र), पटना/श्री विनोद कुमार तिवारी, कनीय अभियंता (यांत्रिक), जलापूर्ति संख्या-02, नगर विकास प्रमंडल जलापूर्ति (पटना नगर निगम क्षेत्र), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-श्री पंकज कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक।